राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/59 **दिनांक 17.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने कोविड–19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे देश में 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक पूर्ण बंदी अधिसूचित किया।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से समचित एंग से निपटने के आवश्यक उपायों के लिये सभी संबंधित अधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/अनुदेश जारी किये हैं।

और जबकि, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि में विस्तार को देखते हुए ऐसे सभी आदेश जो 14 अप्रैल, 2020 की मध्यरात्रि तक मान्य थे, अब 3 मई, 2020 की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, मान्य रहेंगे।

और जबकि, भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने विभागीय आदेश संख्या पी0एस0 03003/3/2020–पी.एम.सी., दिनांक 16 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीने के लिए प्रति सरकार एक किलाग्राम धुली दाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। नैफेड इसके लिये नोडल एजेंसी है।

और जबकि, नैफेड से भेजे गये भंडार की प्राप्ति और लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित करना, दाल लाने पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था, ट्रको में चढ़ाने/उतारने सहित मानव श्रम की व्यवस्था, दालों का भंडार रखने वाले स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की चौबीसों घंटे संचालन, नैफेड से प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर दालों का वितरण और लाभार्थियों को प्रतिदिन दाल वितरण की रिपोर्ट भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सचिव–सह–आयुक्त (एफ एंड एस) को निर्देश देता है कि उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

सचिव–सह–आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, दिल्ली।